रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220324 CG-DL-E-02072020-220324

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] No. 238] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASHADHA 10, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

- सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.061.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–
- "(क) उसका एकमात्र उद्देश्य दिवाला व्यावसायिकों को सहायता सेवाएं प्रदान करना है;"।

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 101 / 2020.21]

2923 GI/2020 (1)

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात -

- (1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 125, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2018:
- (2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 384, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;
- (3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 257, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2019;
- (4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 367, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019; और
- (5) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 154, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.057, तारीख 20 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020

द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2020-21/GN/REG061.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, in regulation 12, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:
 - "(a) its sole objective is to provide support services to insolvency professionals;".

DR. M. S. SAHOO, Chairperson [ADVT. III/4/Exty./101/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were subsequently amended by-

- (1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG027 dated 27th March, 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 125 on 28th March, 2018;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG036 dated 11th October 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 384 on 11th October, 2018;
- (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG045 dated 23rd July 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 257 on 23rd July, 2019;
- (4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG049 dated 25th October 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 367 on 25th October, 2019; and
- (5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG057 dated 20th April, 2020 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 154 on 24th April, 2020.